डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

क्रमांकः डीसीडीसी / सम्ब. / 2025 / 3409   07 **जून 2025**

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

विषय : वार्षिक सम्बद्धता–निरन्तरता शुल्क सत्र 2025–26 के भुगतान विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि परिनियम 27 की कण्डिका 13(3)(ii) के प्रावधानानुसार महाविद्यालयों से संबद्धता–निरन्तरता शुल्क 31 जुलाई तक प्रतिवर्ष इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि 31 जुलाई तक संबद्धता–निरन्तरता शुल्क प्राप्त नहीं होती है तो परिनियम 27(13)(3)(iii) के अनुसार संबद्धता शुल्क की कुल देय राशि पर 25 प्रतिशत अधिभार सहित 31 अक्टूबर तक भुगतान करने की अनुमति कुलपति जी द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बावजूद यदि फिर भी अधिभार सहित संबद्धता–निरन्तरता शुल्क का भुगतान 31 अक्टूबर तक प्राप्त नहीं होता तो बाध्य होकर महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही का प्रावधान है ।

परिनियम क्रमांक 27 की कण्डिका 13(3)(ii)

(a) Rs.10000/- per faculty for the Bachelor's degree other than professional courses, Rs.16000/- per Faculty for Bachelor Degree Diploma in Professional Courses.

(b) Where the affiliation of such colleges or institution is also in respect of Master Degree fee in addition thereto shall be payble as mentioned below:-
Rs.10000/- per subject in any of the Faculties covered by item (a) above other than professional courses
Rs.20,000/- for P.G. Professional Courses.
''व्यवसायिक पाठ्यक्रम विषयों की इंडक्शन फीस का 15 प्रतिशत संबंद्धता शुल्क भी देय है''

महाविद्यालय को सम्बद्धता एवं निरन्तरता शुल्क पर 18% की दर से GST देय होगा । जिसे महाविद्यालय को सम्बद्धता एवं निरन्तरता शुल्क के साथ ही जमा करना होगा ।

अतः सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार सत्र 2025–26 की वार्षिक सम्बद्धता–निरन्तरता शुल्क विश्वविद्यालय के चालान (IDBI BANK) या बैंक ड्राफ्ट (कुलसचिव, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के नाम से) द्वारा **दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक आवश्यक रूप से जमा कर** चालान की मूलप्रति / बैंक ड्राफ्ट विश्वविद्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय

06/6/2025
कुलसचिव(प्र.)

प्रतिलिपि–

1. **प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल** – को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
2. **कुलपति के सचिव** – को कुलपति जी के सूचनार्थ
3. **कुलसचिव के निजी सहायक**

NPS 05/6/2025
निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद